महत्वपूर्ण / कोविड–19
संख्या–711 / पॉच–5 / 2020

प्रेशक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 26 मार्च,2020**

विषयः–कोरोना वायरस (कोविड–19) से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु आवश्यक निर्देशों का पालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस (कोविड–19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष रूप से कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए :–

(1) जनपद में कार्यरत् सभी चिकित्सक, नर्सेज, पैरामेडिकल–स्टाफ हेतु समुचित पास जारी किये जायें। इसके अतिरिक्त निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग–होम में कार्यरत् चिकित्सकों, नर्सेज एवं पैरामेडिकल–स्टाफ हेतु भी आवश्यकतानुसार पास जारी किये जायें।

(2) चिकित्सालयों में भर्ती रोगियों के एक परिचारक को भी पास जारी किया जाय। इसके अतिरिक्त चिकित्सालयों में भर्ती नवजात शिशुओं की माताओं को भी आवश्यकतानुसार पास जारी किये जाने की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाय।

(3) जनसामान्य हेतु दवाओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आशा है कि आपके द्वारा पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गयी होगी। इसे और सुविधाजनक एवं सुदृढ़ बनाने के लिये दवा–विक्रेताओं के फोन नम्बर्स प्रकाशित कराकर यथासंभव होम–डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। इससे जनसामान्य का जीवन अधिक सुगम हो सकेगा।

(4) वाहनों की समस्या को देखते हुए रोगियों को चिकित्सा हेतु लाने / वापस जाने हेतु 102 / 108 एम्बुलेंस सेवाओं का प्रयोग किया जाए ताकि किसी को कष्ट न हो।

(5) ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की दवाओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु फील्ड–लेवल पर कार्यरत् Frontline Workers (आशा / ए0एन0एम0) के माध्यम से उनके भ्रमण के दौरान दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

(6) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दवाओं के अभाव में किसी को कोई असुविधा न हो सके। क्षेत्र विशेष, खासकर शहरो की मलिन बस्तियों में आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल मेडिकल वैन को भेजकर दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

कृपया उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

sunil sir go com-3